

Registration no: (23014032021820184840) Date: (19-09-2022) Valid till: (19-9-2025)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

SANSKAR VIDYA
K-CITY, LEELACHAK SANSAR
DAUDNAGAR, AURANGABAD

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूकृति का प्रमाण पत्र ।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 20-08-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 19-09-2022 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय SANSKAR VIDYA, DNAGAR, AURANGABAD को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 19-09-2022 से 19-9-2025 अवधि के लिए औपचारिक प्रसूकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करने।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अताधिकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिनाई 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उच्च प्रमाण पत्र के अनुसृतम्बत नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे, :

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के अलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(Viii) शिक्षक विजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-प्रतिष्ठिति में संलग्न नहीं होंगे।

विद्यालय के द्वारा सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत-

(I) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 88055F डिसमिल

(II) कुल निर्मित क्षेत्र :- 68055F डिसमिल

(III) खेल के मैदान का क्षेत्र :- PLAYGROUND, CLASS ROOM, WASH ROOM, URINAL, COMPUTER ROOM, OFFICE ETC.

(IV) वर्ग कक्षाओं की कुल संख्या :- 11

(V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3

(VI) वास्तक तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग खोपखोप :- Indian, Boys :- 5, Girls 4

(VII) पेयजल की सुविधा :- 5

(VIII) मम्पाह भोजन के लिये रसोई घर :- 8

(IX) बाधारहित पहुँच, () :-

(X) शिक्षण अधिनियम सामग्री खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- COMPUTER, WHITE BOARD, MAP, GLOB, PROJECTOR ETC., FOOTBALL, CRICKET, VOLLY BALL, BADMINTON, CAROM, CHESS, LUDO ETC., (Y, 300, NewsPaper MagaZine :- 2)

11. कोई भी उपर्युक्त वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबन्धित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1960 (1960 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में समूह कानून के तहत पठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संबन्धित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तिगत संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबन्धित नहीं होगा।

15. सेवा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेड के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रवृत्ति कोड संख्या [23014022021820184940, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उद्घृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर भौग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रवृत्ति की शर्तों के लगाकर रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निर्बंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुसूचक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

Handwritten signature and date: 19/9/2022



Handwritten signature and date: 19/9/22

विद्यासभजन
80/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद
शिक्षा विभाग, बिहार